नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(सामान्य प्रशासन विभाग)

संकल्प संख्या –......602....../

N-I/PF-EEE-42051/15

दिनांक ......22-05-15....../

श्री दिलीप कुमार, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीवान सम्प्रति बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विरूद्ध विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अचंल छपरा ने पत्रांक 1209 दिनांक 25.04.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौसम विभाग के द्वारा पूर्व से घोषित ऑधी तुफान दिनांक 24.04.2015 को आने की सम्भावना संबंधि सूचना के बावजूद दिनांक 24.04.2015 को श्री कुमार को खोज किये जाने पर पाया गया कि वे बिना सूचना के अपने कार्यालय (मुख्यालय) से अनुपस्थित है। दिनांक 24.04.2015 को रात्री लगभग 8:30 बजे आँधी तुफान आने के कारण सीवान में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, जिस क्रम में उनसे सम्पर्क करने पर विद्युत अधीक्षण अभियंता को बताया गया कि वे पटना जा रहे है, किन्तु तुरन्त सीवान लौटने के सख्त निदेश के बावजूद दिनांक 25.04.2015 को प्रातः 3:00 बजे तक अपने मुख्यालय में उपस्थित नहीं हुए। श्री कुमार के अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण गोपालगंज जी0 एस0 एस0 में हाई भोलटेज के कारण सीवान जी0 एस0 एस0 में पावर Extend नहीं किया जा सका। SLDC से सर्म्पक स्थापित कर छपरा जी0एस0 एस0 से सीवान जी0 एस0 एस0 को Power Extend कराकर सीवान शहर का पावर दिनांक 25.04.2015 को लगभग 2:30 बजे प्राप्तः में Restore कराया जा सका। इससे स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता हे कि उनके द्वारा कम्पनी के कार्यो में अभिरूची नहीं ली जा रही है तथा उनका उक्त कृत कम्पनी के हितो के प्रतिकूल है तथा घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, आदेश की अवहेलना एवं कदाचार का द्योतक है।

उपर्युक्त आरोप के लिए पत्रांक 113 दिनांक 25.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया एवं 24 घंटा के अन्दर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करने हेतु आदेश दिया गया। श्री कुमार ने पत्रांक 610 दिनांक 25.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित किया।

श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण के जबाव में उल्लेख किया है कि वे लगभग महीने दिन से कमर दर्द से पीड़ित रह रहे है तथा दो तीन दिन से दर्द काफी बढ़ गया था तथा पत्नी के द्वारा सूचना दी गई कि छोटी बच्ची की तबियत खराब चल रही है जिसके कारण दिनांक 24.04.2015 को 05:17 बजे अधीक्षण अभियंता को दिनांक 25.04.2015 का आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की सूचना दूरभाष पर दिया गया। उनके बाद अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निदेश देकर लगभग 6:00 बजे शाम में सीवान से पटना के लिए प्रस्थान कर गये। शाम 8:51 मिनट पर विद्युत अधीक्षण अभियंता, छपरा द्वारा आँधी एवं बारिश के कारण विद्युत आपूर्ति ठप हो जाने के कारण तुरंत सीवान लौट जाने का आदेश मिला, किन्तु हाजीपुर ओवरब्रिज पर लगे जाम में फंसे रहने असहनीय कमर दर्द एवं तुरन्त यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण सीवान नहीं लौट पाये, जिसका उन्होंने खेद व्यक्त किया है।

सभी तथ्यों के अवलोकन से श्री दिलीप कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का जवाब असंतोषजनक पाया गया। जिला पदाधिकारी,

सीवान द्वारा भी कई बार श्री कुमार से अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण पुछा गया है तथा श्री कुमार का दिनांक 27.10.2014, 20.12.2014 एवं 31.01.2015 का वेतन स्थगित किया गया है। जिला पदाधिकारी सीवान द्वारा कई बार स्पष्टीकरण तथा वेतन रोकना श्री कुमार का आदतन अनाधिकृत अनुपस्थिति को प्रमाणित करता है। श्री कुमार ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे दिनांक 25.04.2015 के अहले सुबह 8:55 बजे अपने मुख्यालय में उपस्थित हुए।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री दिलीप कुमार, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीवान से पुछे गये स्पष्टीकरण का जबाव असंतोषजनक रहने एवं जिला पदाधिकारी सीवान द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार को निम्नांकित दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः–

(1) एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(2) कड़ी चेतावनी ।

तदनुसार श्री दिलीप कुमार, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीवान सम्प्रति बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को निम्नलिखित दण्ड दिया जात हैः–

(1) एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं ।

(2) कड़ी चेतावनी ।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री दिलीप कुमार, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीवान सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को अग्रसारित की जाय।

आदेश से,

21-5-15

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या — 603 — / ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक 22-05-15 /

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी / तकनीकी सचिव / अवर सचिव / निदेशक (प्रशासन) के वरीय निजी सहायक बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, के वरीय निजी सहायक / प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लिमिटेड, के आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

21-5-15

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या —603—/ ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक 22-05-15/

प्रतिलिपिः—निदेशक (परियोजना)/ सभी महाप्रबंधक(मा0सं0प्रशा0)/सभी मुख्य अभियंता/सभी उप महाप्रबंधक—सह—विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/महाप्रबंधक (राजस्व)/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई0टी0)/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) उप महाप्रबंधक (जनसर्म्पक)/सभी लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी (स्थापना) नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/श्री दिलीप कुमार, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीवान सम्प्रति विद्युत कार्यपालक अभियंता, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/5/15

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0एवं प्रशा0)

ज्ञाप संख्या —603—/ ना0बि0पा0डि0कं0लि0, दिनांक 22-05-15/

प्रतिलिपिः—महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/5/15

(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0एवं प्रशा0)